

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] No. 519] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2019/माघ 12, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2019/MAGHA 12, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019

का.आ. 632(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यात्रियों या माल के वहन के लिए परिवहन सेवाएं (रेल से भिन्न), जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 1 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यात्रियों या माल के वहन (भू-मार्ग या जलमार्ग द्वारा) के लिए उक्त सेवाओं को छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2009-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2019

S.O. 632 (E).—Whereas, the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods (by land or water), which is covered by entry 1 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government, hereby declares from the date of publication of this notification the said service in the Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods (by land or water) to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/1/2009-IR (PL)] KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

730 GI/2019